प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 78/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र जारी किया।

25 सितंबर, 2019, नई दिल्ली – भादूविप्रा ने आज 'इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से संबंधित मुद्दों' पर परामर्श पत्र जारी किया।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को कुछ क्षेत्रीय प्रसारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जहां उन्होंने टेलीविजन चैनलों (डीपीओ) द्वारा लक्षित बाजार की घोषणा के संबंध में अपनी चिंताओं को उजागर किया । मौजूदा विनियम कैरिज शुल्क की घोषणा करने हेतु डीपीओ को उनके लक्षित बाजार की घोषणा करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। कतिपय ड्रिस्टीब्यूशन प्लेटफार्म आपरेटरों ने अनेक राज्यों (अथवा कुछ मामलों में समग्र देशों) को अपना लक्षित बाजार घोषित किया है। ऐसे मामलों में इन क्षेत्रीय प्रसारकों को बहुत अधिक कैरिज शुल्क का भुगतान करना होता है। इससे न केवल क्षेत्रीय प्रसारकों पर अवांछित वित्तीय बोझ पड़ता है बल्कि इससे डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा उनको अनुचित दबाव भी झेलना पड़ता है, चूंकि उनका सब्सक्रिप्शन पांच प्रतिशत (5 प्रतिशत) की न्यूनतम विहित सीमा से नीचे बना रहता है, जोकि ऐसी सीमा है जिसके तहत डीपीओ किसी चैनल को वाहित करने के लिए अधिदेशित नहीं है।

3. इसके अलावा, प्रसारकों तथा डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच (आरआईओ आधारित करारों के अलावा) 'प्लेसमेंट' करार, विपणन करार अथवा कोई अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करार 'फारबीयरेंस' के अंतर्गत हैं। परंतु अब, विभिन्न प्रसारकों से कतिपय शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जहां यह आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ डीपीओ, उपलब्ध 'फारबीयरेंस' का गलत रूप से दोहन कर विपणन/'प्लेसमेंट'/संवर्धन करार करने हेतु दबाव डाल रहे हैं।

4. संक्षेप में, इस परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य मौजूदा इंटरकनेक्शन अनुबंध, 2017 के उपबंधों की समीक्षा करना तथा निम्नवत मुद्दों पर सभी हितधारकों से परामर्श करना हैः

i. लक्षित बाजार के संबंध में मुद्दे

ii. प्रसारकों तथा डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच 'प्लेसमेंट' तथा अन्य करारों से संबंधित मुद्दे।

5. ड्राफ्ट परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

6. हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 23.10.2019 तक और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों, 6.11.2019 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। टिप्पणियां व प्रति–टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेलः– advbcs-2@trai.gov.in या sapna.sharma@trai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91–11–23220209 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।